

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275834
SG-DL-E-27082026-275834असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 179
No. 244]	DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948	[N. C. T. D. No. 179

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

स्थायी आदेश

टीबीआर के नियम 45 के अंतर्गत

फा. सं. एए/टीएचओटीए प्रकोष्ठ/2026/अपील/9154/311-319.— मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 17 तथा मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 के नियम 33(1)(क) के साथ पठित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियमावली, 1993 के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा प्रशासनिक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत प्राधिकरण समिति के आदेशों के विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से अपीलों की सुनवाई एवं निपटान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजेश कुमार, उप-सचिव,

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th July, 2026

STANDING ORDER

UNDER RULE 45 OF THE TBR

F. No. AA/THOTA CELL/2026/Appeal/9154/311-319.— In exercise of the powers conferred by Rule 45 of the Transaction of Business of the Government of National Capital Territory of Delhi Rules, 1993, read with Section 17 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 and Rule 33(1)(a) of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby authorises the Administrative Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of the National Capital Territory of Delhi, to hear and dispose of, on behalf of the Government of the National Capital Territory of Delhi, appeals against orders of the Authorisation Committee under sub-section (5) of section 9 of the said Act.

This notification shall come into force with immediate effect."

For and on behalf of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi

RAJESH KUMAR, Dy. Secy.